

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1389 /14-1, दिनांक: अलीगढ़, जनवरी: 20, 2021

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

श्री रासगंज

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-131/2020 सत्य नारायण उपाध्याय बनाम भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-को0के0 897/6ई-2(एस0सी0), दिनांक 10.12.2020, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, उ0प्र0 आगरा के पत्रांक-1192/35-3 दिनांक 23.12.2020

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-131/2020 सत्य नारायण उपाध्याय बनाम भारत संघ व अन्य के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2020 के अनुपालन में अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्या पर वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, (नोडल अधिकारी), अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर इस आशय से संलग्न है कि आप उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर विदिकित कराते हुए जिस प्रारूप में मा0 एन0जी0टी0 की वेबसाईट पर उक्त अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जानी है, उस प्रारूप में अनुपालन आख्या तैयार कराकर प्रभागीय वनाधिकारी कासगंज वन प्रभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

20/1/2021
(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-131/2020 सत्य नारायण उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 20.07.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये।

1. Grievance in this application is against cutting of trees in Kasganj District, Uttar Pradesh. The applicant has also prayed that transplantation machine should be used and instead of cutting the trees, the same be transplanted at other locations. It is mentioned that the State of U.P. is widening roads from Soron, Kasganj to Etah and from Soron, Kasganj to Patiyali, Kasganj, Uttar Pradesh and without any application of mind the State Government has already cut down approx. 3000 trees across roads from Soron, Kasganj to Etah and is now in process of cutting down approx. 7230 more trees on the way between Soron, Kasganj to Patiyali, Kasganj, Uttar Pradesh ignoring the environment and its effect. Reference has been made to news item published in Amar Ujala dated 01.01.2020. Further averment is that cutting of trees will result in more carbon dioxide(CO₂) emissions. Other Greenhouse gases (GHGs) will increase. Such action is against National Forest Policy, 1988 read with the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (conservation) Act, 1980

2. Before going into the merits, we find it necessary to require a factual and action taken report from PCCF(HoFF), U.P. and the U.P. state PCB within three by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

The applicant may serve a set of papers on the PCCF (HoFF), U.P. and state PCB and file affidavit of service within one week from today.

List for further consideration on 20-11-2020

मा० हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के क्रम में दिनांक 05.11.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा एटा-कासगंज मार्ग, बरेली-मथुरा मार्ग व अलीगंज-सोरोन मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट निम्नवत् है -

CE


CE


7/11/20

h cf

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत करा कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- 3.6 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- 3.7 सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।
- 3.8 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0 (pt,) दिनांक-28.08.2015 द्वारा जारी निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्य जीव संरक्षण योजना, बौनक औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामले में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त बाधित वृक्षों के पातन हेतु कुल 5669 वृक्षों की लॉट कासगंज वन प्रभाग एवं एटा वन प्रभाग से तैयार कर उ0प्र0 वन निगम को प्रेषित की गयी। एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग के 5669 वृक्षों का पातन उत्तर प्रदेश, वन निगम द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण कर लिया गया तथा प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कासगंज द्वारा एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का चौड़ीकरण 90 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है।
5. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/32 /2017/एफ.सी./680 दिनांक 12.12.2017 द्वारा प्रदान सैद्धान्तिक शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार पूर्ण कराकर वन संरक्षक, अलीगढ़, वृत्त, अलीगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक 1507/14-1 दिनांक 09.02.2018 द्वारा प्रेषित की गयी। (संलग्नक-4)
6. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज से पत्रांक 436/एम0डी0आर0 45 डब्ल्यू दिनांक 12.04.2016 द्वारा अनुरोध किया








डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक मार्ग की मध्य रेखा से 10 मीटर की सीमा में आने वाले वृक्षों के पातन हेतु संयुक्त निरीक्षण कर प्रजातिवार गणना कर रिपोर्ट तैयार की जाये। (संलग्नक 5)

7. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को अपने पत्रांक 661/एम0डी0आर0 45 डब्ल्यू दिनांक 26.08.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि अलीगंज से सोरों मार्ग (एम0डी0आर0 45 डब्ल्यू) किमी0 26 से किमी0 62 के मध्य मार्ग की मध्य रेखा से 10 मीटर की सीमा में आने वाले 7230 वृक्षों की प्रजातिवार एवं व्यासवार गणना कर सूची संयुक्त निरीक्षण के आधार पर भेज दी गयी है तथा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाये। (संलग्नक 6)
8. प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज द्वारा अपने पत्रांक 316/14-1 दिनांक 09.09.2016 द्वारा अलीगंज-सोरों मार्ग के किमी0 26 से किमी0 62 भाग (गैर संरक्षित वन) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु पर्यावरण एवं हरितमा सम्बर्द्धन के लिये गैर संरक्षित वन भूमि में प्रभावित 7230 वृक्षों के दुगने वृक्ष कुल 14460 को आर0सी0सी0 गार्ड में रोपण करने एवं प्रभावित गैर संरक्षित वन भूमि में स्थित भूमि 23.00 हेक्टेयर की दुगनी भूमि कुल 46.00 हेक्टेयर में 92000 पौधों के रोपण हेतु रू0 51510940.00 (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख दस हजार नौ सौ चालीस) की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज के वन जमा हेतु जमा की जाये। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज द्वारा श्रमांश दर बढ़ने एवं जी0एस0टी0 लागू होने पर उक्त कार्य हेतु वृक्षारोपण की संशोधित परियोजना पत्रांक-456 दिनांक 13.08.2017 द्वारा रू0 55627000.00 (पाँच करोड़ छप्पन लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रेषित की गयी।
9. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को अपने पत्रांक 79/एम0डी0आर0 45 डब्ल्यू दिनांक 23.01.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कोषागार अन्त्रण के माध्यम से रू0 55627000.00 (पाँच करोड़ छप्पन लाख सत्ताईस हजार मात्र) वन जमा में जमा करा दिया गया है। (संलग्नक 7)








मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक- 2420/11-सी-वा०सा० दिनांक 21.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को निर्देशित किया गया कि अलीगंज-सोरों मार्ग (एम०डी०आर० 45 डब्ल्यू) गैर संरक्षित वन भूमि से सम्बन्धित 7230 वृक्षों के पातन हेतु सम्बन्धित वृक्षों की लॉट उ०प्र०, वन निगम को हस्तगत की जायें। (संलग्नक 8)


11. सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कासगंज की कार्य योजना जोकि भारत सरकार से अनुमोदित है के अध्याय 10 की कंडिका 10.4.8 के पातन के सामान्य नियम की उप कंडिका (iii) में अंकित है, कि " सड़क या रेल मार्ग चौड़ा करने हेतु नियमानुसार जाँच व अन्य शासकीय परिक्रियायें पूर्ण करने के उपरान्त वृक्षों का पातन किया जा सकता है।" चूंकि अलीगंज-सोरों मार्ग (एम०डी०आर० 45 डब्ल्यू) गैर संरक्षित वन भूमि की पट्टियां संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है अतः गैर संरक्षित वन क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वृक्षों के पातन अनुज्ञा जारी करने विषयक समय-समय पर जारी सैद्धान्तिक स्वीकृतियों को आधार बनाकर पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति हेतु प्रभावित वृक्षारोपण के क्षेत्रफल के दुगने 46.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण एवं प्रभावित वृक्षों की संख्या से दुगने पेड़ के रोपण हेतु चन्दनपुर घटियारी राजकीय भूमि पर 92000 पौधों का रोपण एवं कासगंज जनपद के विभिन्न मार्गों पर 17 स्थलों पर एकल पंक्ति में 14460 आर०सी०सी० गार्ड में चौथा रोपण की परियोजना तैयार कर लोक निर्माण विभाग को प्रेषित की गयी जिसके रोपण की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा कराये जाने के उपरान्त उ० प्र० वन संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित) की धारा-7 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग वृक्षारोपण का दायित्व पूर्ण करने हेतु धनराशि जमा कराने के पश्चात् धारा-5 के अन्तर्गत वृक्ष के निपातन के लिये अनुज्ञा की प्रक्रिया का पालन करते हुये उ० प्र० वन निगम को 7230 वृक्षों का छपान कर लॉट उपलब्ध करायी गयी जिसका पातन उ०प्र० वन निगम द्वारा दिनांक 30.10.2020 तक पूर्ण कर लिया गया।
12. कासगंज वन प्रभाग, कासगंज द्वारा अलीगंज-सोरों मार्ग (एम०डी०आर० 45 डब्ल्यू) गैर संरक्षित वन भूमि के चौड़ीकरण में प्रभावित वृक्षों के पातन के फलस्वरूप चन्दनपुर घटियारी राजकीय भूमि में वर्ष 2019 में 40000 एवं वर्ष 2020 में 5000 पौधों का रोपण किया गया जोकि वर्तमान में पूर्णतः जीवित हैं। शेष 47000 पौधों का रोपण 2021 में चन्दनपुर घटियारी राजकीय भूमि पर किया जायेगा। जनपद कासगंज में विभिन्न मार्गों पर कुल 17 स्थलों पर एकल पंक्ति में पातित 7230 वृक्षों के दुगने कुल 14460 पौधों


का रोपण किया जा चुका है। (संलग्नक 9)

इस प्रकार अलीगंज-सोरों मार्ग (एम0डी0आर0डब्ल्यू 45) गैर संरक्षित वन भूमि में पातन किये गये 7230 पेड़ों के स्थान पर हरितिमा सम्बंधन (ग्रीन कवर) के लिये कुल 1,06,460 पौधों का रोपण प्रस्तावित किया गया जिसमें से वर्षाकाल 2020 तक 59,460 पौधों का रोपण पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष 47000 पौधों का रोपण वर्षाकाल 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। निष्कर्षतः वन विभाग द्वारा जनपद में पातन किये गये वृक्षों के स्थान पर हरितिमा सम्बंधन के लिये पर्याप्त संख्या में पौधों का रोपण कैम्पा के दिशा निर्देश अनुसार कराया गया।

- 13- जनपद कासगंज में वन विभाग द्वारा वर्ष 2019 में 4,16,850 वर्ष 2020 में 7,28,630 पौधों का रोपण ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिये किया गया।
- 14- जिला वृक्षारोपण समिति, कासगंज के तत्वधान में जिलाधिकारी, कासगंज के निर्देशानुसार जनपद कासगंज के विभिन्न राजकीय विभाग, स्कूल, रेलवे, उद्यान विभाग एवं ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2019 में 11,67,738 एवं वर्ष 2020 में 12,08,248 पौधों का पौधारोपण वृहद स्तर पर रोपण किया गया।
- 15- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कासगंज द्वारा गंगा नदी के किनारे अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वर्ष 2019 में चन्दनपुर घटियारी में 1,01,000 पौध एक ही स्थल पर रोपित कर "गंगा वन" की सफल स्थापना की गयी।
- 16- वर्ष 2020 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कासगंज द्वारा जिलाधिकारी, कासगंज के निर्देशन में गंगा किनारे अतिक्रमित राजकीय भूमि को खाली कराकर दतलाना खाम में 2,51,000 पौध एक ही स्थल पर रोपित कर "भागीरथी वन" की सफल स्थापना की गयी।
- 17- जिलाधिकारी, कासगंज द्वारा स्वयं एवं अन्य विभागों के प्रयास से जनपद कासगंज के हरितिमा कवर को बढ़ाने के लगातार बड़े स्तर पर पौधारोपण कराया जा रहा है जोकि आने वाले वर्षों में जनपद कासगंज का ग्रीन कवर राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप होगा।


(जिलाधिकारी)
उत्तर प्रदेश सरकार
अलीगंज


प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज


वन संरक्षक
गंगा नदी, जलगीर

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(i). Proposal No. : FP/UP/ROAD/21109/2016

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : To connect Etah Kasganj Dist Hq with Four lane by widening and strengthening of Etah Kasganj road (O.D.R) from dist Hq Etah (G.T. Road N.H. 91 junction) and Bareilly mathura road (S.H.- 33) up to dist Hq Kasganj (Length =24.300+16.500=40.800Km)

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposal for diversion (under FCA-1980)of Etah Kasganj road (ODR) Under dist etah is 22.80 hact. protected forest land and cutting of 2435 number of trees for non forestry purpose and under dist kasganj, Etah Kasganj road (ODR) and Bareilly Mathura Road (S.H. - 33) is 24.008 hac. protected forest

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 32045.81

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 46.808

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 3

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 30

A-2. Details of User Agency

(i). Name : PWD UTTAR PRADESH

(ii). Address1 : P D PWD KASGANJ

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttar Pradesh

(v). District : Kashiram Nagar

(vi). Pin : 207123

(एस० पी० सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्राचीन सड़क, लो०नि०वि०
कासगंज

(सी० पी० सिंह)
अभियन्ता
प्राचीन सड़क, लो०नि०वि०
कासगंज

- (vii). Landmark : MISSION HOSPITAL KASGANJ
- (viii). Email address : pwdknr@gmail.com
- (ix). Landline Telephone No. : 5744-244799
- (x). Fax No. : 5744-244799
- (xi). Mobile No. : 9412410500
- (xii). Website (if any) : NIL
- (xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: CHANDRA
- (ii). Middle Name: PAL
- (iii). Last Name: SINGH
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: EXECUTIVE ENGINEER
- (vi). Address 1: P D PWD KASGANJ
- (vii). Address 2: NIL
- (viii). State: Uttar Pradesh
- (ix). District: Kashiram Nagar
- (x). Tehsil: NIL
- (xi). Pin: 207123
- (xii). Landmark: MISSION HOSPITAL
- (xiii). Email Address: pwdknr@gmail.com
- (xiv). Landline Telephone No.: 5744-244799
- (xv). Fax No.: 05744244799

(xvi). Mobile No.: 9412410500

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this

(एस० पी० सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खाण्ड लोअरिगिणो
कसरगंज

(सी० पी० सिंह)
अभियन्ता अभियन्ता
प्रान्तीय खाण्ड लोअरिगिणो
कसरगंज

- (vii). Landmark : MISSION HOSPITAL KASGANJ
- (viii). Email address : pwdknr@gmail.com
- (ix). Landline Telephone No. : 5744-244799
- (x). Fax No. : 5744-244799
- (xi). Mobile No. : 9412410500
- (xii). Website (if any) : NIL
- (xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

- (i). First Name: CHANDRA
- (ii). Middle Name: PAL
- (iii). Last Name: SINGH
- (iv). Gender: Male
- (v). Designation: EXECUTIVE ENGINEER
- (vi). Address 1: P D PWD KASGANJ
- (vii). Address 2: NIL
- (viii). State: Uttar Pradesh
- (ix). District: Kashiram Nagar
- (x). Tehsil: NIL
- (xi). Pin: 207123
- (xii). Landmark: MISSION HOSPITAL
- (xiii). Email Address: pwdknr@gmail.com
- (xiv). Landline Telephone No.: 5744-244799
- (xv). Fax No.: 05744244799

(xvi). Mobile No.: 9412410500

(एसओ पीओ सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोअरिओ

(सीओ पीओ सिंह)
अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोअरिओ

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this

application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Forest Division Kashiram Nagar	24.008	0
2.	Social Forestry Division Etah	22.8	3

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Kasganj	24.008	0
1.	Etah	22.8	3

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Chaucha bangaov	0.048	0
2	Asrauli	2.064	0
3	Etah khas	0.288	0
4	Kasaiti	1.2384	0
5	Rarpatti	1.6608	0
6	Giraura	3.2064	0
7	Datal	0.3504	0
8	Ghiramai	0.744	0
9	Nagla Khayali	3.24	0
10	Sirsatippu	1.6992	3
11	Sindhavali	1.0608	0
12	Ramalhetamshah	0.8964	0
13	Chathirapur	0.786	0
14	Supaiti	1.4736	0

(ए.पी. सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय सड़ लॉगिडिडि
कासगंज


(सि.पि. सिंह)
अभियन्ता
प्रान्तीय सड़ लॉगिडिडि

15	Jinhera	2.124	0
16	Mirhechl	1.92	0
17	Nadrai	6.48	0
18	Bankner	1.248	0
19	Kasganj city	4.28	0
20	Bhitauna	3.12	0
21	Mamo	2.64	0
22	Goraha	2.76	0
23	Prahladpur	3.6	0

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Road widening and strengthening	46.808	3

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Forest Division Kashiram Nagar

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 24.008

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	24.008	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

Division 2. : Social Forestry Division Etah

(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 22.8

(ii). : Linear

(b). No. of Segments : One

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	22.8	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 


 (एस।पी।ओ. सिंह)
 सहायक अभियन्ता
 प्राणिक संरक्षण, लोहागंज
 काशीगंज


 (सी.ए. सिंह)
 अभियन्ता
 प्राणिक संरक्षण, लोहागंज

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS, or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided; No
- (a). Reason for not providing such map widening and strengthening of Etah kasganj road

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment (Number of persons): 15
- (iii). Temporary Employment (Number of person-days): 216000

F. Displacement of People due to the Project, if any

- (i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

- (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: Yes
- (a). Copy of Cost-Benefit analysis: 

H. Status of Environmental Clearance

- (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(एसओ पीओ सिंह)
सहायक अभियन्ता

(सी० पी० सिंह)
अभियन्ता

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No

(iii). Reason for not providing Non-Forest Land: Others

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Ghazette Notification
2		Project sanction Letter
3		Area Calculation etah kasganj road and bareilly mathura road

Print page

()
(एस।पी. सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लॉन्गिनिवि
कासगंज

()
(सी.पी. सिंह)
अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लॉन्गिनिवि
कासगंज

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UP-0216/2016

1. Location of the project/Scheme : Uttar Pradesh

(i)

State / Union Territory : Uttar Pradesh

(ii)

District : Kasgang, Etah

(iii)

Forest Division : Forest Division Kashiram Nagar, Social Forestry Division Etah

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 46.808

(v)

Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Social Forestry Division Etah	22.8	Protected Forest
2	Forest Division Kashiram Nagar	24.008	Protected Forest

Division 1. : Forest Division Kashiram Nagar

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Kasgang	24.008

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(In ha.)	Density	Eco-Class
1	24.008	0.3	Eco 3

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Syzigium Cumini	Jamun	26	34	41	20	220
2	Terminalia Arjuna	Arjun	7	9	13	6	21
3	Dalburgia Sisoo	shisham	60	32	31	20	13
4	Azadirachta Indica	Neem	33	30	13	12	28
5	Aegle Marmelos	Bel	20	10	3	3	0
6	Acacia Arabica	Deshee Babul	1	4	2	2	0
7	Holoptelia Integrifolia	Kanju papdi	126	55	52	35	49
8	Pongamia Pinnata	Kanji	67	40	42	21	39
9	Cassia Siamea	Cassia saimea	61	160	268	308	51
10	Ficus Religiosa	Peepal	10	12	17	16	19
11	Albezzia Labbeck	Siras	6	2	3	2	1
12	Morus Laevigata	shahtoot	25	5	2	0	0

15	Melia Azadirachta	Bakain	6	6	4	0	0
16	Eucalyptus	Eucalyptus	3	3	2	2	2
17	Delonix Regia	Gulmohar	10	23	24	8	1
18	Cassia Fistula	Amaltas	7	7	5	1	0
19	Zizyphus Jujuba	Ber	1	0	0	0	0
20	Ailanthus excelsa	Arru	0	0	1	1	1
21	Bauhinia Parviflora	Kachnar	12	3	3	0	0
22	Ficus Racemosa	Gular	2	1	4	0	3
23	Bombax Ceiba	Semal	2	2	1	3	3
24	Artocarpus Heterophyllus	Kathal	0	0	1	1	0
25	Saraca Asoca	Asok	0	3	1	0	0
26	Madhuca indica	Mahua	1	0	0	0	0
27	Tamarindus Indica	Imli	6	2	1	1	3
28	Ficus benghalensis	Bargad	0	2	2	3	0
29	Ficus Infectoria	Pakhar	33	18	30	18	27
30	Others	Labheda	2	7	6	3	1
31	Others	Badhal	3	0	1	0	0
32	Others	Putranjiva	1	0	0	0	0
33	Others	Kadam	10	17	12	8	5
34	Others	Kaner	5	0	1	0	0
35	Others	Sihora	0	4	0	1	0
36	Others	Subbul	0	4	2	0	0
37	Others	Jangal Jalebi	0	0	1	0	0
38	Others	Jyuliflora	0	0	0	0	0
39	Others	Sahjan	0	0	1	1	0
40	Mangifera Indica	Aam	2	6	19	14	60

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The area is covered under plantation working circle of the working plan.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Forest area soil is not vulneraibility to erosion.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 55

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : No wildlife present at site proposed for diversion

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument

monument is located in the area : No

संलग्न-02

9

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i).

Total Financial Outlay for C.A(lacs): 217.074 ✓

Patch Wise Details						
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	1	10	BARTARKHASH VAN BLOCK	Sadabad	NA	 View file
2	2	10	MANORA VAN BLOCK	Sadabad	NA	 View file
3	3	10	BAHADURPUR VAN BLOCK	Sadabad	NA	 View file
4	4	10	FARERA FOREST BLOCK	Bah	NA	 View file
5	5	8.016	BATESHWAR FOREST BLOCK	Bah	NA	 View file

(ii).

Copy of CA scheme details: 

(iii).

Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 

(iv).

Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		Site Inspection report
2		NPV Certificate
3		Van swaroop certificate
4		ROW Gadna certificate kasganj
5		Forest certification format
6		WILD - 2 CERTIFICATE
7		Plantation saransh
8		SYUKT NIRIKCHAN
9		NPV Computation
10		FRA CERTIFICATE
11		SMARK CERTIFICATE
12		Estimate kasganj
13		Liner Plan ROW kasganj

24/09/02

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Etah	22.8

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	22.8	0.3	Eco 3

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Eucalyptus	Eucalyptus	3	12	13	14	5
2	Tamarindus Indica	IMLI	2	0	0	0	2
3	Acacia Nilotica	BABOOL	5	4	11	4	5
4	Melia Azadirachta	Bakain	1	0	0	0	0
5	Ficus Bengalensis	BARGAD	1	2	1	0	1
6	Kiggelia Pinnata	Balamkheera	2	8	3	0	0
7	Zizyphus Jujuba	Ber	0	3	0	0	0
8	Aegle Marmelos	Bel	2	2	0	0	0
9	Anthocephalus Cadamba	Kadamb	20	22	15	2	0
10	Ficus Infectoria	pakar	16	12	16	17	16
11	Holoptelia integrifolia	papdi	26	62	52	14	13
12	Morus Laevigata	sahtoot	13	10	4	1	0
13	Alstonia Scholaris	chitvan	0	0	1	0	0
14	Bauhinia Parviflora	kachnaar	1	14	9	1	0
15	Gassia Siamea	kesia	5	46	117	96	38
16	Pongamia Pinnata	kanji	77	71	55	22	18
17	Albizia Procera	Siraa	7	37	40	19	3
18	Ficus Religiosa	pipal	3	3	6	5	19
19	Others	karukha	0	0	1	1	0
20	Dalburgia Sisoo	sheesam	54	61	19	30	63
21	Acacia Arabica	deshi Babool	1	3	4	3	7
22	Lagistromia Lanceolata	ShuBabool	2	8	1	0	0
23	Teak	Sagwan	4	4	3	1	0
24	Ficus Bengalensis	Bakyan	5	4	4	1	0
25	Others	Jyuliflora (Babool)	14	35	38	21	13
26	Others	camachile	0	1	0	0	0
27	Others	Chiku	5	0	0	0	0
28	Others	Jangal Jalebi	1	0	0	0	1
29	Syzigium Cumini	Jamun	17	47	90	57	225
30	Azadirachta Indica	NEEM	62	92	51	17	38
31	Mangifera Indica	AAM	0	0	4	4	22
32	Alangium Lamarckit	AKOLA	0	0	1	0	0
33	Saraca Asoca	Ashok	5	1	1	1	0
34	Terminalia Ariuna	Ariun	0	2	6	7	2

S.No	Species Name	Local Name	2	11	21	3	3
37	Ficus Racemosa	Goolar	2	1	2	1	1
38	Others	Labeda	2	11	4	0	0
39	Madhuka Indica	Mahua	0	0	0	0	2
40	Others	Sihora	1	0	0	0	0
41	Others	Sahajan	0	0	1	0	0
42	Tectona Grandis	Kath Sagaun	0	1	0	0	0

संलग्नक-02

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

Forest Land Proposed is included Plantation Working Circle and the Prescriptions contained therein shall apply.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Forest area is not vulnerable to erosion

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 1.00

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : NO
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any, committed :

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i).

Total Financial Outlay for C.A(lacs): 248.88

Patch Wise Details						
S.No	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No	Uploaded KML file of patch
1	1	10.00	Pidora R.F.	Pinahat	1	 View file
2	2	10.00	Pidora R.F.	Pinahat	2	 View file

12

5	5	1.984	Bateshwar R.F.	Bah	NIL	view file
						View file

(ii).

Copy of CA scheme details:

(iii).

Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or

Total Station:

(iv).

Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.:

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1		Row Gadna sheet
2		Estimate Etah
3		WILD LIFE CERTIFICATE
4		Liner Plan Certificate etah
5		Land Suitably Certificate
6		NPV CERTIFICATE
7		SMARK CERTIFICATE
8		VAN SWAROOP CERTIFICATE
9		WILD - 2 CERTIFICATE
10		FRA CERTIFICATE
11		SYUKT NIRIKCHAN

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Etah	245292	1033.297	33.7632	29	120.74	26/12/2016	23.627	0
2	Kasgang	199308	571.4131	3.710	3	19.4695	28/03/2017	7.8964	11.5731

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site Inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Social Forestry Division Etah	Aligarh Circle Aligarh	DFO	Yes	One		07/10/2016
Forest Division Kashiram Nagar	Aligarh Circle Aligarh	DFO	Yes	One		07/10/2016
	Aligarh Circle Aligarh	CF	Yes	One		10/01/2017

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))


संल३५०-०२

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Social Forestry Division Etah	Aligarh Circle Aligarh	DFO	Recommended	RECOMMENDATION LETTER		
Forest Division Kashiram Nagar	Aligarh Circle Aligarh	DFO	Recommended	RECOMMENDATION LETTER		
	Aligarh Circle Aligarh	CF	Recommended	Agreed with the information provided by concerned DFOs. Hence, Recommending the proposal in public interest for approval.		Yes

Print page

प्रभागीय वनाधिकारी
कासगंज वन प्रभाग
कासगंज

Divisional Director
Social Forestry Division



संख्या 03



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kandriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324026
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/32/2017/एफ.सी./680

दिनांक: 12.12.2017

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
छठवां तल, बापू भवन, लखनऊ

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/21109/2016)

विषय: एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी० 0 से 20 तक 22.80 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी० 21 से 24.3 तक तथा बरेली-मथुरा मार्ग किमी० 145 से 161.5 तक 24.008 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर बानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर बानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- /एटा-कासगंज मार्ग/21109/2016, दिनांक- 01.12.2017

143
144
15-12-17

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-42/14-2-2017-800(34)/2017, दिनांक-30.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधायकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक- 09.11.2017 को, आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। बैठक में विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति (संशोधित वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की शर्त के साथ) प्रदान की गयी थी। बैठक में प्रकरण से संबंधित वांछित सूचना की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना आख्या पर विचारोपरान्त गुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी० 0 से 20 तक 22.80 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी० 21 से 24.3 तक तथा बरेली-मथुरा मार्ग किमी० 145 से 161.5 तक 24.008 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर बानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर बानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रमावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (46.808X2= 93.616 ha.) अर्थात् 93.616 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

21M
300-2007
14/12/17
12.12.17

(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की प्रामाणिकता सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृत्तावेषण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया है) प्रेषित की जाए, उपरोक्त ही विधियुक्त स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (समन पत्र द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में वृद्धोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

- विधियुक्त स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित नव क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के ध्य पर किया जाएगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं धीलर पर दर्शाया जायेगा और नव क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के भागकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जॉन बेंग, चोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबुलाल जालु बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के ध्य पर नव विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृत्तावेषण किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी
- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार बर्गान तथा गविय, में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-308/2014-एफ0सी0(DL), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूर्क वृत्तावेषण, एन0पी0वी0, वन्यजीव संरक्षण योजना, वीने औषधीय पौधों के वृत्तावेषण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि के मा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित शर्तों का पालन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तों को परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-III/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधियुक्त स्वीकृति जारी की जायेगी।

नवदीप,

(वृषेन्ध रूपरुप)
वन संरक्षक (अभियन्ता)

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अतिरिक्त वनसामिनिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- निदेशक (भारतओ0एच0एच0एच0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चानिकी प्रभाग, कासगंज, उ0 प्र0।
- अभिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा, उ0 प्र0।
- अभिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कासगंज, उ0 प्र0।
- संकेतकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- आदेश प्रभावली

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-1602 / एटा-कासगंज/21109/2016, दिनांक, लखनऊ, दिनांक 14, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न भालाग से जमा कराकर पुष्टि होने पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी का कार्यानुमाति व उ0प्र0 वन निगम को पालन हेतु लाट आवॉटेड कर प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी दिनांक 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं जमा धनराशि को पुष्टि हेतु Online Payment History की प्रति व प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता आदि मूल अभिलेख तीन प्रतियां में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, एटा एवं कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का उपरोक्तानुसार अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराकर, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न भालाग से जमा कराकर, जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण, निर्धारित प्रारूप में अंकित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, के मा, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करें तथा प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें। इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि0 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या, Online Payment History की प्रति व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी सुसंगत वचनबद्धता आदि समस्त वांछित अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित कर, वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अभिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, ल0नि0वि0, एटा एवं कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं अभिलेख संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2017: 147 15/11/17

प्रतिलिपि आजीव निदेशक/वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन हेतु जमा धनराशि का मदवार विवरण, निर्धारित प्रारूप में अंकित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, के मा, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करें तथा प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें। इस कार्यालय के पत्रांक-2501/11सी, दि0 24.05.16 द्वारा निर्धारित प्रारूप में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या, Online Payment History की प्रति व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी सुसंगत वचनबद्धता आदि समस्त वांछित अभिलेख प्रतिहस्ताक्षरित कर, वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रमोद कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1161
14-1
11/11/17

D. mam
आवेदन को
D.D.
OKS
06/11/17

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

पत्रांक
सेवा में,

office of dfo kasganj, circular Road Near Roadways station, kasganj-207123 Email-dfokasganj@gmail.com phone 05744-247550

कासगंज,दिनांक,

फरवरी,

9-2

2018

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय-

एटा-कासगंज मार्ग एवं बरेली-मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी० 0.0 से 20.00 तक 22.80 हे० संरक्षित वनभूमि एवं पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज एटा में एटा-कासगंज मार्ग पर किमी० 21 से 24.3 तक बरेली-मथुरा मार्ग किमी० 145 से 161.50 तक 24.008 हे० संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं अवस्थित 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

- (1) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, कासगंज का पत्रांक 128/1-सी वृक्षारोपण दिनांक 16.01.2018
- (2) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ का पत्रांक 8बी०/यू०पी/०६/३२/२०१७/एफ०सी०/६८० दिनांक 12.12.2017
- (3) वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़ का पत्रांक 2502/14-1 दिनांक 06.02.2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण मे अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, कासगंज के उक्त पत्रांक द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 07 तक की अनुपालन आख्या प्राप्त हुई हैं। उक्त सन्दर्भ सं० 2 में उल्लिखित बिन्दु सं० 01 से 08 तक की अनुपालन आख्या/समस्त प्रमाण पत्रों सहित अभिलेख (4 प्रतियों में) एटा व कासगंज की संयुक्त रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र० सं०	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (46.808 X2 = 93.616 ha) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त सं०-1 के अनुपालन में कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (24.008 X2 = 48.016 ha) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 24072000.00 (दो करोड चालीस लाख बहात्तर हजार मात्र) धनराशि को On Line Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa IFSC-CORP0000633 A/C No 150906121109068 में NEFT द्वारा दिनांक 15.01.2018 को जमा करा दी गयी है। कोषागार कासगंज का टोकन नम्बर 881851298 (बिल सं० C198100047) जिसकी रसीद संलग्न है (संलग्नक -1) व एटा वन प्रभाग में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (22.80 X2 = 45.50 हे०) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 26315272.00 धनराशि को Online Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान में अंकित धनराशि को ई० पेमेण्ट के माध्यम से Uttar Pradesh Campa IFSC-CORP0000633 A/C NO 150906121109068 में NEFT द्वारा दिनांक 17.01.2018 को जमा करा दी गयी है। जिसकी रसीद संलग्न है (संलग्न-1अ) कुल प्रभावित भूमि 46.808 हे० के बदले दो गुनी भूमि पर कुल वृक्षारोपण 93.616 हे० दोनो वन प्रभागों की कुल सी०ए० मद की धनराशि कुल 50387272 (पाँच करोड तीन लाख सतासी हजार दो सौ बहत्तर रु० मात्र)
2(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय	शर्त सं०-2 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 24.008

	<p>के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007 -एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि) कैम्पा नई दिल्ली मे जमा की जाएगी।</p>	<p>हेक्टेयर की एन0पी0वी0 रु0 15029008.00 (एक करोड़ पचास लाख उन्तीस हजार आठ मात्र)धनराशि को On Line Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC-CORP0000633 A/C No 150906121109068 मे NEFT द्वारा दिनांक 15.01.2018 को जमा करा दी गयी है। कोषागार कासगंज का टोकन नम्बर 881851298 (बिल सं0 C198100047) जिसकी रसीद संलग्न है (संलग्नक -1) व एटा वन प्रभाग में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 22.80 हे0 की एन0पी0वी0 रु0 14272800.00 धनराशि को Online Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान में अंकित धनराशि को ई0 पेमेण्ट के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC- CORP0000633 A/C NO 150906121109068 में NEFT द्वारा दिनांक 17.01.2018 को जमा करा दी गयी है। जिसकी रसीद संलग्न है (संलग्न-1) दोनों वन प्रभागों की कुल प्रभावित भूमि 46.808 हे0 के बदले एन0पी0वी0 मद में धनराशि 29301808 रु0 (दो करोड़ तिरानवे लाख एक हजार आठ सौ आठ रु0 मात्र)</p>
<p>2 ख)</p>	<p>इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑन लाईन ई- रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जायें, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>शर्त सं0-2 (ख) सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या On Line Portal के माध्यम से दोनो प्रभागों की जमा की गयी धनराशि की ऑन लाईन ई-रसीद की छाया प्रति सहित संलग्न है (कासगंज संलग्नक-1) (एटा संलग्नक-1 अ)</p>
<p>2 ग)</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर मे बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>शर्त सं0-2 (ग) के अनुसार यदि एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करने सम्बन्धित बचन बद्धता प्रमाण-पत्र दोनों प्रभागों का संलग्न है। (कासगंज संलग्नक-2) (एटा संलग्नक-2 अ)</p>
<p>3</p>	<p>विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र मे लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।</p>	<p>शर्त सं0-3 मे उल्लिखित सभी शर्तों का लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करने सम्बन्धित बचन बद्धता प्रमाण-पत्र दोनों प्रभागों का संलग्न है। (कासगंज संलग्नक-3) (एटा संलग्नक-3 अ)</p>
<p>4</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 मे दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।</p>	<p>शर्त सं0-4 का अनुपालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण-पत्र दोनों प्रभागों का संलग्न है। (कासगंज संलग्नक-4) (एटा संलग्नक-4 अ)</p>
<p>5</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत करा कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>शर्त सं0-5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना स्वीकृत कर दोनो प्रभागों का संलग्न कर प्रेषित है। (कासगंज संलग्नक-5) (एटा संलग्नक-5 अ)</p>
<p>6</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।</p>	<p>शर्त सं0-6 मे उल्लिखित सभी शर्तों का लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन करने सम्बन्धित बचन बद्धता प्रमाण-पत्र दोनों प्रभागों का संलग्न है। (कासगंज संलग्नक-6) (एटा संलग्नक-6 अ)</p>
<p>7</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p>शर्त सं0-7 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र दोनों प्रभागों का संलग्न है। (कासगंज संलग्नक-7) (एटा संलग्नक-7 अ)</p>

8	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0 (pt.) दिनांक-28.08.2015 द्वारा जारी निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, वन्य जीव संरक्षण योजना, बौनक औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामले में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।	शर्त सं0-8 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन0पी0वी0, मद की धनराशि जमा कर दी गयी है। जिसका उल्लेख शर्त संख्या 1 व 2 में है तथा शेष बौनक औषधी पौधों के वृक्षारोपण व गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन का मामला दोनों वन प्रभागों से आपेक्षित नहीं है शेष शर्तों याचक विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गयी है तदुपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण को इस कार्यालय के पत्रांक 1428/22-1 दि0 31.01.2018 द्वारा कार्य कराने की अनुमति दी गयी व एंटा वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में सी0ए0 धनराशि व एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने की रसीद व बचन बढ़ता प्रमाण-पत्रों को इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1459/14-1 दिनांक 28.01.2018 द्वारा प्रायोक्ता अभिकरण को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी गयी है।
9	अतिरिक्त 10 बिन्दुओं की सूचना	
	1.CA amount as per proposal	Rs. 5,03,87,272.00
	2.CA amount deposited	Rs. 5,03,87,272.00
	3.Difference amount	Not applicable
	4.Reason for difference	Not applicable
	5.NPV amount as per proposal	Rs. 2,93,01,808.00
	6.NPV amount deposited	Rs. 2,93,01,808.00
	7.Difference in amount	Not applicable
	8.Any other amount deposited -(complete details be provided)	Not applicable
	9.CAMPA confirmation	Not required due to deposition of amount by E-payment process.

अतः मांगी गयी सभी शर्तों की संयुक्त अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार (04 प्रतियों में)

भवदीय

 9/2/2018

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

पत्रांक 1507 / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0, कासगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एंटा को सूचनार्थ प्रेषित।

 9/2/2018

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

संलग्नक-5

विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़

E-mail ID : sewbaligarh@gmail.com

पत्रांक : 436/MDR45W

दिनांक : 12/04/16

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक (वानिकी)
वन विभाग,
कासगंज।

विषय :- अलीगंज से सोरों मार्ग (एम0डी0आर0 45W) के किमी0 26 से किमी0 62 के मध्य मार्ग की मध्य रेखा से 10 मी0 की सीमा में आने वाले वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पत्रांक 225/ए0डी0बी0 दिनांक 16.07.2015 एवं 426/एम0डी0आर0-45 डब्ल्यू दिनांक 08.10.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से उपरोक्त विषयक मार्ग की मध्य रेखा से दोनों ओर 10-10 मी0 की सीमा में आने वाले वृक्षों के पातन हेतु वृक्षों की प्रजातिवार एवं व्यांसवार गणना हेतु अनुरोध किया गया था। अवगत कराना है कि विषयक मार्ग का चौड़ीकरण एशियन डवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित है। मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों का पातन कराया जाना है। इस सम्बन्ध में पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा नियुक्त कन्सलटेन्ट मैसर्स फीड बैक इन्फ्रा के श्री मुन्ना कुमार को नियुक्त किया गया है।

MDR/R.C.

पत्रांक : 134-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी गंजडुण्डवारा/कासगंज
2. सहायक अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय

(अशोक कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
अलीगढ़

दिनांक :

अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
अलीगढ़

Rw 304726009Ur

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़

e-mail ID : eewbaligarh@gmail.com

संलग्नक-06

पत्रांक :

दिनांक :

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कासगंज।

विषय :- अलीगंज से सोरों मार्ग-(एम0डी0आर0-45डब्ल्यू) के किमी0 26 से किमी0 62 के मध्य मार्ग की मध्य रेखा से 10-10 मी0 की सीमा में आने वाले वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पत्रांक 426/एम0डी0आर0-45 डब्ल्यू दिनांक 08.10.2015, पत्रांक 436/एम0डी0आर0-45 डब्ल्यू दिनांक 12.04.2016, 326/एम0डी0आर0-45 डब्ल्यू दिनांक 16.05.2016, 430/एम0डी0आर0-45 डब्ल्यू दिनांक 14.06.2016 एवं 632/एम0डी0आर0-45 डब्ल्यू दिनांक 22.08.2016

(2) महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके स्टाफ एवं फीड बैक इन्फा, प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा संयुक्त रूप से मार्ग की मध्य रेखा से दोनों ओर 10-10 मी0 की सीमा में आने वाले वृक्षों के पातन हेतु वृक्षों की प्रजातिवार एवं व्यासवार गणना की गयी है। वृक्षों की गणना से सम्बन्धित हस्ताक्षरित सूची कन्सालटेंट से प्राप्त होने के उपरान्त आपके कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि विषयक मार्ग का चौड़ीकरण एशियन डवलपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित एक महत्वपूर्ण-परियोजना है जिसका अनुश्रवण शासन स्तर पर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण सम्बन्धित आगणन अविलम्ब प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे कि वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

(अशोक कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0,
अलीगढ़।

पत्रांक : 661/MDR45W

दिनांक : 26/08/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
2. क्षेत्रीय वनाधिकारी, गंजडुण्डवारा/कासगंज
3. श्री ज्ञान प्रकाश, सहायक अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़।

अधिशासी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0,
अलीगढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, अलीगढ़

E-mail ID : eewbaligarh@gmail.com

पत्रांक : 79/MOR-45W

दिनांक : 23/11/19.....

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कासगंज

विषय:- अलीगंज-सोरों मार्ग पर मार्ग की मध्य रेखा से दायें एवं बायें पटरी पर स्थित 10 मी० तक की दूरी के समस्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 456/पत्रावली कासगंज दिनांक 31.08.2017.

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि कोषागार अन्तरण प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 22.01.2019 को उपरोक्त विषयक मार्ग पर आपके द्वारा वांछित धनराशि का भुगतान रू० 5,56,27,000.00 (पांच करोड़, छप्पन लाख, सत्ताईस हजार) मात्र का कर दिया गया है। आपसे इस विषय में हुई वार्ता के क्रम में अनुरोध है कि अलीगंज-सोरों मार्ग पर प्रभावित वृक्षों का छपान एवं लॉट तैयार कर वृक्षों के पातन हेतु वन निगम को अतिशीघ्र प्रेषित करने की कृपा करें।

(अशोक कुमार गुप्ता)

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो०नि०वि०, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद।
3. वन संरक्षक, अलीगढ़।
4. श्री हरिओम, सहायक अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वृक्षों का छपान एवं लॉट बनाये जाने की कार्यवाही अतिशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक:

RC/AC
श्री० को करे।

DR
OKS
31/11/19

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- /11-सी-वी0सी0, लखनऊ, दिनांक: जून 21, 2019

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
अलीगढ़ एवं कासगंज।

विषय:- ए0डी0वि0/विश्व बैंक सहायतित परियोजना एवं एन0एच0ए0आई0 के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण, अनुभाग-12 का पत्रांक-877/23-12-2019-1046/15, दिनांक-12.06.2019 एवं उ0प्र0 वन निगम का पत्रांक-18/वृक्ष पातन/विश्व एशियन विकास बैंक, दिनांक 14.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में एन0एच0ए0आई0 के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 14.06.2019 को प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0, शासन द्वारा वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 वन निगम ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अलीगंज-सौरा मार्ग (एम0डी0आर0-45W) से सम्बन्धित 7230 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि प्रभाग द्वारा अभी तक वृक्षों की लाटें वन निगम को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण से सम्बन्धित वृक्षों की लाटें तत्काल वन निगम को हस्तगत करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को 02 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण विकास परियोजनाओं से आच्छादित है, इसमें लापरवाही किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं है।

संलग्नक - उपरोक्त

भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-2490/11-सी-वी0सी0, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

RIC
आ0का0कर

01-07-19

50
22-1
02-07-19

कार्यालय
वन संरक्षक, अलीगढ़ एवं कासगंज
पत्रांक 176 /22-1 दिनांक: 12-07-19

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

RC
आ0का0कर

10/7/19

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, अलीगढ़ एवं कासगंज को इस आशय से उपरोक्त वृक्षों की लाटें वन निगम को तत्काल उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस प्रकरण को अवगत कराना सुनिश्चित करें

का संलग्नक
अतिरिक्त प्रतिलिपि

(संलग्नक-9)

अधिशाली अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, अलीगढ़ द्वारा इस वन प्रभाग के अन्तर्गत अलीगंज-सोरों मार्ग के चौड़ीकरण में कुल 7230 वृक्षों का पातन किया गया था, जिसके सापेक्ष दुग्ने वृक्षारोपण हेतु आर0सी0सी0 गार्ड में 14460 पौध रोपण हेतु धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसके अन्तर्गत निम्न स्थलों पर वर्ष 2019 में आर0सी0सी0 गार्ड में वृक्षारोपण कराया गया है:-

क्र0सं0	आर0सी0सी0 गार्ड में दुग्ने वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या	माह जुलाई 2020 तक आर0सी0सी0 गार्ड में किये गये वृक्षारोपण का स्थलवार विवरण			
		स्थल का नाम	आर0सी0सी0 गार्ड रोपण का लक्ष्य	आर0सी0सी0 गार्ड रोपण की प्रगति	अवशेष
1	2	3	4	5	6
1	14460 पौधें	बिलराम पुल से कासगंज मार्ग			
2		अमापुर फाटक से मंडी तक	1100	1100	0
3		कासगंज से नदरई मार्ग	1100	1050	50
4		बदनपुर से नहर एल0जी0सी0 बी0बी0 (कासगंज बाईपास)	700	700	0
5		जिला न्यायालय से आवास विकास	1100	1100	0
6		सोरों से कलेक्ट्रेट मार्ग	1100	1100	0
7		बहेडिया से बदनपुर मार्ग (कासगंज बाईपास)	1100	1100	0
8		फतेहपुर कलों से सलेमपुर मार्ग (गंगा वन मार्ग)	1100	1100	0
9		गोरहा से बहेडिया मार्ग (कासगंज बाईपास)	1100	1100	0
10		सोरों से फतेहपुर कलों बी0बी0 (गंगावन मार्ग)	1100	1100	0
11		नहर एल0जी0सी0 से बिलराम तक	1100	0	1100
12		एल0जी0सी0 नदरई पुल	500	0	500
13		मोहनपुर से गंजडुण्डवारा बाईपास मार्ग	500	500	0
14		पटियाली बाईपास एवं स्टेशन रोड	500	250	250
15		अलीगंज सोरों मार्ग किमी0 26 से 31	500	0	500
16		पटियाली बाईपास आर0बी0 पटरी	260	0	260
17		सिद्धपुरा गंजडुण्डवारा मार्ग एवं मोहनपुर मार्ग	500	0	500
योग :-			14460	11300	3160

इसके अतिरिक्त अलीगंज सोरों मार्ग चौड़ीकरण में 23 हे0 वनभूमि प्रभावित होने के कारण दुग्ने वृक्षारोपण 48 हे0 हेतु कासगंज रेंज के अन्तर्गत चन्दपुर घटियारी में 46 हे0 भूमि में 92000 पौधों का वृक्षारोपण कार्य कराया जाना था, जिसके सापेक्ष माह जुलाई 2020 तक निम्न प्रकार 22.5 हे0 में 45000 पौधों का वृक्षारोपण कराया जा चुका है:-

क्र0सं0	वृक्षारोपण वर्ष	स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2019	चन्दनपुर घटियारी भाग-5	10	20000
2		चन्दनपुर घटियारी भाग-6	10	20000
3	2020	चन्दनपुर घटियारी	2.5	5000
योग :-			22.50	45000

शेष 23.5 हेक्टेयर में 47000 पौधों का वृक्षारोपण वर्षाकाल 2021-22 में किया जायेगा।

प्रभागीय पनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग, कासगंज